Fire Safety

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी हरिद्वार।
पत्रांकः न–6/सीएफओ–एस/18 दिनांकः फरवरी 16, 2018।

स्वामी/प्रबन्धक
प्रस्तावित विश्वविद्यालय भवन,
पंतजलि योगपीठ ट्रस्ट फेस–2,
ग्राम–शान्तरशाह एंव बहादपुर सैनी,
जनपद हरिद्वार।

विषयः– प्रस्तावित व्यवसायिक भवन मानचित्र अनापत्ति के सम्बन्ध में ।

कृपया आपके आवेदन यूनिक नम्बरः–90077935, दिनांक 02.02.2018 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार प्रस्तावित विश्वविद्यालय भवन, पंतजलि योगपीठ ट्रस्ट फेस–2, ग्राम–शान्तरशाह एंव बहादपुर सैनी, जनपद हरिद्वार के संलग्न व्यवसायिक भवन मानचित्र का परिशीलन एवं प्रस्तावित व्यवसायिक स्थल का स्थलीय निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी हरिद्वार से कराया गया, अग्निशमन अधिकारी हरिद्वार की निरीक्षण आख्या दिनांकः 06.02.2018 के अनुसार स्थल तक अग्निशमन वाहनों के आवागमन हेतु पर्याप्त मार्ग है, स्थल के ऊपर से कोई विद्युत हाईटेंशन लाईन नहीं जा रही है तथा बिन्दु संख्या 01 से 14 तक के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सशर्त संस्तुति आख्या प्रेषित की गयी है।

आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि व्यवसायिक भवन का मानचित्र के अनुसार निर्माण के उपरान्त तथा भवन को उपयोग में लाये जाने से पूर्व अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थायें मानचित्र/नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2016 के भाग–4 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार कराकर तथा स्थानीय थाना, अस्पताल एवं फायर स्टेशन हरिद्वार का टेलीफोन नं0 01334–265600 मुख्य स्थान पर अंकित कराकर इस कार्यालय को सूचित करें, संस्थान को प्रारम्भ करने से पूर्व व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन कराया जाये, व्यवस्था संतोषजनक पाये जाने के उपरान्त ही अन्तिम रुप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। न किये जाने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

अतः उपरोक्त अनुबन्ध के साथ अग्निशमन अधिकारी हरिद्वार की संस्तुति आख्या एवं उप निदेशक महोदय (प्र0/तक0), अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड, देहरादून के अनुमोदन के उपरान्त प्रस्तावित विश्वविद्यालय भवन, पतजलि योगपीठ ट्रस्ट फेस–2, ग्राम–शान्तरशाह एंव बहादपुर सैनी, जनपद हरिद्वार को इस अनुबन्ध के साथ कि भवन का मानचित्रानुसार निर्माण कार्य कराये जाने एवं अग्निशमन अधिकारी के संलग्न पत्र में अंकित व्यवस्थाएं/सुझाव के अनुरूप निर्माण पूर्ण होने तक पूर्ण करा ली जाने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

संलग्नकः यथोपरि।

(राजेन्द्र सिंह खाती) 16/2/18
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः अग्निशमन अधिकारी हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Scanned by CamScanner

R/CFO/325
06/02/18

सेवा में,

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
, हरिद्वार

महोदय,

कृपया पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट से प्राप्त आवेदन पत्र दिनांकः 02-02-2018 के अनुसार ग्राम-शान्तरशाह & बहादरपुर सैनी, जिला हरिद्वार के अन्तर्गत पंतजलि योगपीठ ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय भवन, के निर्माण सम्बन्धी मानचित्र का परिशीलन एवं स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया है।

आख्या निम्नवत है :-

1. प्रस्तावित विश्वविद्यालय भवन , का कुल प्लाट एरिया 140817.00 मीटर है।
2. प्रस्तावित विश्वविद्यालय भवन का कुल कवर्ड एरिया 77938.00 मीटर है।
3. प्रस्तावित विश्वविद्यालय भवन , तक अग्निशमन के वाहन सुगमता से पहुंच सकते हैं।
4. प्रस्तावित विश्वविद्यालय भवन , के ऊपर से कोई हाईटेन्शन विद्युत लाइन नहीं हैं।

व्यवस्थायें:-

1. प्रस्तावित विश्वविद्यालय भवनों का निर्माण भूकम्प रोधी तकनीकी के आधार पर आधारित होगा।
2. प्रस्तावित विश्वविद्यालय भवनों में विद्युत व्यवस्था के अन्तर्गत एम.सी.बी. का प्रावधान किया जाय।
3. प्रस्तावित विश्वविद्यालय भवनों में एन.बी.सी. अनुरूप पर्याप्त सैट बैक का भी प्रावधान कियाजाय।
4. प्रस्तावित विश्वविद्यालय भवनों में विद्युत व्यवस्था के अतिरिक्त वैकल्पिक प्रकाश व्यवस्था का भी प्रावधान किया जाय।
5. प्रस्तावित विश्वविद्यालय भवनों के प्रत्येक ब्लॉक में 20,000 (बीस हजार लीटर) लीटर क्षमता का टैरिस टैंक का प्रावधान किया जाय एवं विश्वविद्यालय् भवनों के प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक तल में 01-01 होजरील (30 मीटर प्रति होज रील) मय नाजुल को स्थापित कर होजरील में प्रेशरयुक्त पानी प्राप्त करने के लिए टैरेस टैंक के पास 7.5 एच. पी. का पम्प स्थापित कर पम्प को होजरील से कनैक्ट किया जाय।
6. प्रस्तावित विश्वविद्यालय , के अन्तर्गत 3,00,000 (तीन लाख लीटर) क्षमता का अण्डर ग्राउण्ड वाटर टैंक को ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाय, जहाँ पर अग्निशमन का बडा वाहन आसानी से पहुँच सके, उस पर 2280 एल0पी0एम0 क्षमता का मैन पम्प, 2280 एल0पी0एम0 क्षमता का डीजल पम्प एवं 180 एल0पी0एम0 क्षमता का जॉकी पम्प को स्थापित करते हुए रिंग मैन पर प्रत्येक 100 फीट की दूरी पर 01-01 फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कर प्रत्येक हाइड्रेन्ट्स के पास होजबॉक्स बनाकर प्रत्येक होजबॉक्स में 02-02 होजपाईप तथा 01-01 साधारण ब्रांन्च स्थापित किया जाय।
7. प्रस्तावित विश्वविद्यालय भवनों को प्रयोग में लाने से पूर्व इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा इस कार्यालय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय् भवनों में भिन्न-भिन्न प्रकार के अग्निसुरक्षा उपकरणों (फायर एक्सटिंग्यूशर्स) को स्थापित करना सुनिश्चित करेंगे।
8. प्रस्तावित विश्वविद्यालय भवनों में पर्याप्त आन्तरिक तथा बाहरी निकास मार्गों का प्राविधान N.B.C. के अनुरूप किया जाये।
9. प्रस्तावित विश्वविद्यालय भवनों के मुख्य स्थान पर फायर स्टेशन का टेलीफोन नम्बर 01334265600, 101 ऐसे स्थान पर अंकित किया जाय, जहां पर सबकी नजर पड़ सके।
10. प्रस्तावित विश्वविद्यालय भवनों के प्रत्येक ब्लॉक में ऑटोमैटिक फायर अलार्म सिस्टम का भी प्रावधान किया जाय।
11. प्रस्तावित विश्वविद्यालयभवनों के प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक तल में स्मोक डिटैक्टर सिस्टम का प्रावधान किया जाये।
12. प्रस्तावित विश्वविद्यालय , भवनों के किसी ब्लॉक मे यदि बेसमेन्ट का निर्माण किया जाता है तो बेसमेन्ट में स्प्रिंकलर सिस्टम का प्रावधान किया जाय।
13. प्रस्तावित विश्वविद्यालय भवनों के प्रत्येक ब्लॉक में निकास चिन्हों का भी प्रावधान किया जाय।
14. प्रस्तावित विश्वविद्यालय भवनों का निर्माण एन.बी.सी. एवं एन.जी.टी. के मानकों के अनुरूप कराया जाय।

अतः उपरोक्त अंकित सुरक्षा व्यवस्थाओं/संसाधनों को स्वामी/प्रबन्धक पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट द्वारा ग्राम-शान्तरशाह & बहादरपुर सैनी, जिला हरिद्वार में प्रस्तावित विश्वविद्यालय भवनों में उक्त शर्त के अनुरूप निर्माण कराये जाने की अनुमति हेतु संस्तुति की जाती है।

(दानी राम)
अग्निशमन अधिकारी
हरिद्वार

पत्रांकः न-6/फा0स0ए0/18
दिनांकः फरवरी 06 ,2018

Scanned by CamScanner